(4)

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा

पत्रांक--मान्यता / 5926 31 / 2013-14 दिनाक- 31-07-2013

प्रबन्धक

जे0एस0बी0पब्लिक स्कूल

(निकट राजकीय महाविद्यालय) जलेसर ।

विषयः-- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 31-10-2012 के आवेदन और इस संबन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश के कम में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 29.6.2013 के प्रस्ताव सख्या 03 में शासनादेश दिनांक 8-5-2013 में निहित प्रावधानो के अर्न्तगत लिये गये निर्णयानुसार मैं जे0एस0बी0पब्लिक स्कूल (निकट राजकीय महाविद्यालय) जलेसर को दिनाक 1.07.2013 से 30.06.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अंगेजी माध्यम के अन्तर्गत कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः-

1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध2) के उपबंधो का पालन करेगा।

3-विद्यालय कक्षा 6 से 8 में उस कक्षा मे बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4-पैरा-3 मे निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय के अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5-सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(I) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा :

(II) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(III) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(IV) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण -पत्र प्रदान किया जाएगा।

(V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(VI) अध्यापक अधिनियम की धारा 23(1) के आधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है और,

(VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7-विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8-विद्यालय अधिनियन की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संन्नियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसविधाए निम्नानुसार हैः-

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डार के लिए कक्ष

MANAGER
J.S.B. Public School
Jalesar, Etah

Manager
Public School
Jalesar, Etah

Principal
J.S.B. Public School
Jalesar, Etah

PRINCIPAL
Fertilizer Public School
Shahjahanpur

Manager
J.S.B. Public School
Jalesar, Etah